



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34857

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17583 वर्ष 2025

जितेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मानवेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए हैं, को सुना गया।
2. यद्यपि वर्तमान याचिका 22.07.2025 के निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, परंतु आज, आदेश पारित होने के उपरांत, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के हस्ताक्षरों के तहत दिनांक 13.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुसार, निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए **खारिज** किया जाता है। इस आदेश के पारित होने से प्रत्यर्थियों का, विधि के पूर्णतः अनुरूप एक नया आदेश पारित करने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।
4. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”